



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com; वेबसाईट-<https://snpv.ac.in>

क्रमांक 502/अका./महा. शिक्षण कार्य/2021

रायगढ़, दिनांक 27/07/2021

प्रति,


समस्त प्राचार्य,
विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा

विषय: प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय एवं शासकीय निजी महाविद्यालयों में भौतिक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति।

- संदर्भ:** 1. कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय के पत्र क्रमांक 1719/341/आउशि/समन्वय/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/07/2021
2. छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-90/2020/38-1 दिनांक 26/07/2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश में उल्लेखित बिंदुओं का पालन करते हुए विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों में भौतिक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश में उल्लेखित बिंदुओं का पालन करते हुए समस्त महाविद्यालय भौतिक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।


कृष्ण कुमार चन्द्राकर
(कुलसचिव)

क्रमांक 503/अका./महा. शिक्षण कार्य/2021

रायगढ़, दिनांक 27/07/2021

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव राजभवन रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव उच्च शिक्षा विभाग अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
5. प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय रायगढ़ जिला एवं जांजगीर-चांपा जिला को महाविद्यालयों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अग्रेषित।
6. वेबपोर्टल/कार्यालय प्रति


(उपकुलसचिव, अकादमी)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(फोन - 0771-2838413 फैक्स - 0771-2283412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

क्रमांक 1719/341/ आउशि/समन्वय/2021

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26.07.2021

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय
(छ.ग.)
2. प्राचार्य
समस्त शासकीय/निजी महाविद्यालय
छत्तीसगढ़


विषय :- प्रदेश मे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय एवं शासकीय /निजी महाविद्यालयों में भौतिक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति।
संदर्भ :- छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक एफ 3-90/2020/38-1 दिनांक 26.07.2021

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र आदेश के द्वारा प्रदेश मे उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय एवं शासकीय /निजी महाविद्यालयों में दिनांक 02.08.2021 से भौतिक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

कृपया संदर्भित आदेश में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्न :- उक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार)


26.7.2021

(डॉ. एच.पी. खैरवार)

अपर संचालक


उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक 1720/341/ आउशि/समन्वय/2021

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26.07.2021

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर संदर्भित आदेश के परिपालन में सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/सरगुजा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


26.7.2021

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

-- 0 --

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26/07/2021

क्रमांक एफ 3-90/2020/38-1 :: राज्य शासन एतद्वारा, प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालयों एवं शासकीय/निजी महाविद्यालयों में दिनांक 02.08.2021 से निम्नानुसार भौतिक रूप से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- (1) उपरोक्त शिक्षण संस्थानों में पोस्ट ग्रेज्युएट कक्षाएँ 02 अगस्त, 2021 से आफलाईन मोड में प्रारंभ की जाएं तथा अंडर ग्रेज्युएट कक्षाएँ 15 दिन के बाद चरणबद्ध रूप से प्रारंभ की जाएं।
- (2) यह कक्षाएँ उन्ही जिलों में प्रारंभ की जाएं जिनमें कोरोना की पाजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1 प्रतिशत से कम हो।
- (3) विद्यार्थियों को कक्षाओं में 1 दिवस के अंतर पर बुलाया जाए, अर्थात् प्रतिदिन केवल आधी संख्या में ही विद्यार्थी बुलाए जाएं।
- (4) किसी भी विद्यार्थी को घाटे, सर्दी, खांसी, बुखार आदि हो तो उसे कक्षा में नहीं बैठाया जाए।
- (5) ऑनलाईन कक्षाएँ यथावत संचालित की जाती रहेंगी।
- (6) किसी भी विद्यार्थी के लिए उपर्युक्त अनिवार्य नहीं होगी।
- (7) केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए।
- (8) सभी शिक्षण संस्थाओं के नामों की भाषा-समाहारी प्रकाशित की जाए।

उच्च शिक्षा विभाग के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(सचिव, उच्च शिक्षा विभाग)
आर. रायपुर


उच्च शिक्षा विभाग

पृ0क्रमांक एफ 3-90/2021/38-1,
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26/07/2021

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर.
4. समस्त संभागीय आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग (छ.ग.),
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
6. समस्त कुलसचिव, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
7. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मधु पिल्ले चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर,
8. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/सरगुजा/बस्तर
9. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,
11. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
12. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अपर सचिव
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग